नगर पालिक निगम, भोपाल

जनसंपर्क शाखा

म्यूजिकल फाउंटेन एवं लेजर–शो के समय में परिवर्तन

प्रथम शो सायं 07:30 एवं द्वितीय शो रात्रि 08:45 बजे से होगा प्रारंभ

म्यूजिकल फाउंटेन एवं लेजर–शो देखने हेतु एडवांस बुकिंग की सुविधा का लाभ उठाये नागरिक

भोपाल, 16 जुलाई 2015

नगर निगम द्वारा नागरिकों के मनोरंजन हेतु शहर के बीचों बीच ऐतिहासिक छोटी झील के किनारे नीलम पार्क में संचालित प्रदेश के पहले म्यूजिकल फाउंटेन एवं लेजर–शो संचालित किया जा रहा है। उक्त म्यूजिकल फाउंटेन एवं लेजर शो जो आधुनिक तकनीकी से सुसज्जित है इसमें प्रतिदिन 2 शो संचालित है। नगर निगम द्वारा नागरिकों की सुविधा के दृष्टिगत लेजर शो के समय में परिवर्तन किया जा रहा है। म्यूजिकल फाउंटेन एवं लेजर–शो ऑडिटोरियम में प्रथम शो सायं 07:30 बजे से व दूसरा शो रात्रि 08:45 बजे से प्रारंभ होगा। लेजर शो देखने के इच्छुक नागरिकों की सुविधा हेतु शो के एडवांस बुकिंग की व्यवस्था भी की गई है।

निगम ने नागरिकों को लेजर–शो की बुकिंग में सुगमता के दृष्टिगत् टेलीफोन पर अग्रिम बुकिंग कराने की सुविधा भी प्रदान की है। नागरिक मोबाईल फोन पर एडवांस बुकिंग कराने हेतु जोनल अधिकारी जोन क्र. 07 श्री ओ.पी. द्विवेदी के मोबाईल नं. **94244–99908** तथा वार्ड क्र. 34 के वार्ड प्रभारी श्री हरिकेश यादव के मोबाईल क्र. **94256–01334** पर संपर्क कर म्यूजिकल फाउंटेन एवं लेजर–शो हेतु अग्रिम बुकिंग का लाभ उठा सकते हैं।

————————

निगम अमले ने अरेरा कालोनी, चंचल चौराहा, कस्तूरबा नगर सहित विभिन्न क्षेत्रों से हटाए अनेक अतिक्रमण

भोपाल, 16 जुलाई 2015

नगर निगम द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों फुटपाथों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। इसी तारतम्य में निगम के अतिक्रमण विरोधी अमले ने गुरूवार को भवन अनुज्ञा शाखा के साथ संयुक्त कार्यवाही में अरेरा कालोनी के ई–3 सेक्टर में भवन क्र. 235 के भवन स्वामी द्वारा नाली को बंद करके सड़क तक अवैध रूप से बनाए गए स्लेब को हटाने की कार्यवाही की। निगम अमले ने सी.एम. हेल्प लाईन के माध्यम से प्राप्त शिकायत पर संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ स्थित चंचल चौराहे पर सड़क के किनारे एवं फुटपाथों पर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमणों को हटाया साथ ही कस्तूरबा नगर स्थित बी.एस.एस कॉलेज के समीप सार्वजनिक भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही की। निगम अमले ने साकेत नगर स्थित विकलांग कालोनी में सार्वजनिक भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को हटाने की चेतावनी अतिक्रमणकारियों को दी। निगम अमले ने लिंक रोड नंबर 01, वल्लभ भवन क्षेत्र और लालघाटी चौराहे से एयरपोर्ट रोड गांधी

नगर तक सड़क के दोनों ओर सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण कर यातायात को बाधित करने वालों के अतिक्रमणों को हटाकर यातायात को सुगम बनाया।

——————————